

206

न्यायालय अध्यक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

सं. 1290-I-16

प्र.क्र. /15

वीरसिंह पुत्र शिवलाल जाति अहिरवार
कोटवार निवासी ग्राम आबूपुर उर्फ कुचौली
.....प्रार्थी

बनाम

1. ग्रामवासी ग्राम करीमपुर, तह. त्योंदा, जिला विदिशा (म.प्र.)
2. काशीराम पुत्र प्राणचंद अहिरवार
3. दलीप पुत्र गनेश अहिरवार
4. बालमुकुन्द पुत्र रामचरण अहिरवार
5. गजराज पुत्र रामचरण अहिरवार
6. हरिसिंह पुत्र मुल्लू अहिरवार
7. शंकरसिंह पुत्र जगन्नाथसिंह गुर्जर
8. गोरी पुत्र पर्वतसिंह गुर्जर एवं समस्त ग्रामवासी निवासीगण ग्राम करीमपुर (सियावदा) तहसील त्योंदा

.....प्रतिप्रार्थी

श्री. कुंवर सिंह गुर्जर (सं.)
द्वारा आज दि. 22-4-16 को
प्रस्तुत
श्री. [Signature] 21-4-16
कलेक्टर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रिवीजन अंतर्गत धारा 450 भू.रा.सं. विरुद्ध आदेश दिनांक 25.2.2016 न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय, त्योंदा, प्र. क्र. 01/ए-56/15-16 ग्रामवासी करीमपुर कोटवार शिकायत ग्राम करीमपुर, तह. त्योंदा, जिला विदिशा (म.प्र.)

माननीय महोदय,

रिवीजन प्रार्थी निम्नलिखित प्रस्तुत है :-

1. प्रार्थी ग्राम आबूपुर उर्फ कुचौली का निवासी होकर ग्राम करीमपुर का कोटवार होकर हरिजन जाति का व्यक्ति है।
2. यह कि ग्राम करीमपुर के कतिपय व्यक्तियों द्वारा तहसीलदार त्योंदा को प्रार्थी के विरुद्ध शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र माननीय तहसीलदार महोदय द्वारा दिनांक 3.9.2015 को नोटिस जारी किया कि आपके द्वारा ग्रामवासियों के मध्य झगड़ा कराया जाकर अवैध पैसा वसूल किया जाता है। आपके एवं आपके परिवार द्वारा ग्रामीणों

cont....

[Signature]


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

286

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1290-एक/16

जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कुंवर सिंह कुशवाह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.3.19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	